UPSB010002412017

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ0टी0सी0) (सी0ए0डब्ल्यू0), सोनभद्र

पीठासीन अधिकारी—**विपिन कुमार—III** (उच्चतर न्यायिक सेवा) I.D. No.-UP-6486

सत्र परीक्षण संख्या—09/2017

राज्य

...अभियोजन

बनाम

जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव उम्र 35 वर्ष पुत्र शिवदुलारे यादव, निवासी ग्राम रिठिया, थाना नौगढ़, जनपद चन्दौली

...अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या—**196/2016**
धारा—**376, 452** भारतीय दण्ड संहिता
थाना—**पन्नूगंज,** जनपद सोनभद्र

—:निर्णयः—

1. अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव को थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र द्वारा प्रेषित पुलिस रिपोर्ट अपराध संख्या—196/2016, अंतर्गत धारा—376, 452 भारतीय दण्ड संहिता विचारित किया गया। उपरोक्त प्रकरण सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र को सुपुर्द किए जाने के उपरान्त इस न्यायालय को अन्तरण से प्राप्त हुआ।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा रामजनम यादव पुत्र स्व0 बचउ यादव, निवासी पकरहट, थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र, द्वारा लिखित तहरीर थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र में दिनांक 28.06.2016 को इस कथन के साथ दी गई कि आज दिनांक 28.06.2016 की रात्रि लगभग ढाई बजे की बात है। जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव पुत्र शिवदुलारे, ग्राम रिठियां, थाना नौगढ़, जनपद चन्दौली ने उसके भाई बुल्लू यादव के घर में घुसकर उसके छोटे भाई की पत्नी मीना से गलत कार्य के उद्देश्य से छेड़खानी करने लगा कि मीना ने शोर मचाया कि शोर की आवाज सुनकर वह तथा उसका भाई रामसूरत व बुल्लू व गांव के रामवचन पुत्र चेखुर व अन्य लोग आ गए कि जिल्लू भागने का प्रयास किया की वहीं पर घर में घेर मारकर पकड़ लिया गया तथा गांव के तमाम लोगों ने देखा है। वह इसको लेकर

Digitally signed by VIPIN KUMAR
Date: 2026.08.20 17:46:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sonbhadra

थाना आया है। सूचना दे रहा है। अतः वादी द्वारा उचित कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना की गई।

3. वादिनी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र में दिनांक 28.06.2016 को समय 07:10 बजे मुकदमा अपराध संख्या–196/2016, अन्तर्गत धारा–354, 452 भारतीय दण्ड संहिता अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव के विरुद्ध पंजीकृत हुआ, जिसका इन्द्राज कायमी मुकदमा जीडी संख्या–16 समय 07:10 दिनांक 28.06.2016 में किया गया।

4. मामले में विवेचक नियुक्त हुए। महिला आरक्षी से वादिनी/पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित कराया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके बयान अंकित किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया गया। वादिनी/पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया गया। पीड़िता को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर उसका बयान अन्तर्गत धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित कराया गया। सम्बन्धित साक्षियों का बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। दौरान विवेचना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव के विरुद्ध धारा–376, 452 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

5. अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव को आहूत किया गया। अभियुक्त उपस्थित अदालत आया। तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र द्वारा अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव के विरुद्ध धारा–376, 452 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध पाते हुए उक्त धारा में आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

6. अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया हैः–

पीडब्ल्यू–1	रामजनम	वादी मुकदमा
पीडब्ल्यू–2	बुल्लू यादव	साक्षी तथ्य
पीडब्ल्यू–3	डॉक्टर गीता जायसवार	औपचारिक साक्षी
पीडब्ल्यू–4	पीड़िता	साक्षी तथ्य
पीडब्ल्यू–5	महिला कांस्टेबल सुदामा देवी	औपचारिक साक्षी
पीडब्ल्यू–6	से0नि0 उपनिरीक्षक अबरार अहमद	औपचारिक साक्षी
पीडब्ल्यू–7	से0नि0 उपनिरीक्षक श्रीदेव	औपचारिक साक्षी
पीडब्ल्यू–8	निरीक्षक अजय कुमार	औपचारिक साक्षी

दस्तावेजी साक्ष्य			
प्रदर्श	**दस्तावेज**	**साबितकर्ता साक्षी**	**दिनांक**
प्रदर्श क–1	तहरीर	पीडब्ल्यू–1	18.09.2018

प्रदर्श क–2	चिकित्सीय परीक्षण आख्या	पीडब्ल्यू–3	29.08.2025
प्रदर्श क–4	बयान अंतर्गत धारा–164 सीआरपीसी	पीडब्ल्यू–4	17.10.2025
प्रदर्श क–5	जीडी कायमी	पीडब्ल्यू–5	10.02.2026
प्रदर्श क–6	आरोप पत्र	पीडब्ल्यू–6	11.02.2026
प्रदर्श क–7	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पीडब्ल्यू–7	06.04.2026
प्रदर्श क–8	नक्शा नजरी घटनास्थल	पीडब्ल्यू–8	15.07.2026

7. अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव ने अभियोजन कथानक को **गलत** बताया। अभियोजन साक्षीगण संख्या–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 व 8 के बयानों को **गलत** बताया। मुकदमा **गलत** चलना बताया। सफाई साक्ष्य देने इन्कार किया तथा और कुछ कहने से इन्कार किया।

8. मेरे द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश तिवारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तर्कपूर्ण बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक तथा प्रलेखीय साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया।

9. प्रस्तुत प्रकरण में इस तथ्य का विनिश्चय किया जाना है कि क्या दिनांक 28.06.2016 को रात्रि 02:30 बजे अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव द्वारा पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती बलात्कार किया गया था?

10. अभियोजन पक्ष की ओर से उपलब्ध कराये गये अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का विश्लेषण तथा उसका मूल्यांकन करने के क्रम में यह उचित प्रतीत होता है कि अभियोजन साक्षीगण के मौखिक साक्ष्य के प्रासंगिक अशों एवं उसका सार निर्णय में लेखबद्ध किया जाये।

11. अभियोजन की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए तथ्य के साक्षीगण के रूप में वादी मुकदमा पीडब्ल्यू–1 रामजनम, पीडब्ल्यू–2 बुल्लू यादव व पीडब्ल्यू–4 पीड़िता और औपचारिक साक्षीगण के रूप में पीडब्ल्यू–3 डॉक्टर गीता जायसवार, पीडब्ल्यू–5 म0कां0 सुदामा देवी, पीडब्ल्यू–6 उ0नि0 अबरार अहमद, पीडब्ल्यू–7 उ0नि0 श्रीदेव व पीडब्ल्यू–8 निरीक्षक अजय कुमार को परीक्षित कराया गया है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या–1 रामजनम ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना दिनांक 28.06.2016 की रात्रि 2:30 बजे की बात है। जिल्लू उसके भाई बुल्लू यादव के घर में घुसकर उसके छोटे भाई की पत्नी मीना से छेड़खानी करने लगा और मीना ने शोर मचाया तो आवाज सुनकर वह तथा उसका भाई रामसूरत व बुल्लू गांव के रामवचन दौड़करकर बचाने की कोशिश किए और घर में घेरकर पकड़ लिया। मीना उससे बताई थी कि जिल्लू उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है। कागज संख्या–4अ/4 पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह तस्दीक करता है, जिसपर प्रदर्श **क–1** डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

13. अभियोजन साक्षी संख्या–2 बुल्लू यादव ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 28.06.2016 की रात्रि लगभग 2:30 बजे की बात है। उसकी पत्नी तथा वे दोनों अलग–अलग चारपाई पर अपने घर के सामने सोए हुए थे कि तभी उसकी पत्नी ने बचाओ–बचाओ कहकर शोर मचाया। उसकी नींद खुली तो देखा कि उसकी पत्नी के चारपाई के पास एक व्यक्ति है तथा उसकी पत्नी के कपड़े खींचने का प्रयास कर रहा है। तब उसकी पत्नी उससे बचने का प्रयास कर रही है। तब उसने भी उठकर अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया तथा शोर मचाया, जिसके कारण बड़े भाई रामजनम यादव व तमाम लोग मौके पर जुट गए। उस व्यक्ति को जो उनके घर के आंगन में घुसा था, वह भागने की कोशिश करने लगा। वहां उसके बाद काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। अंधेरा होने के कारण जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव को कौन लोग मार रहे थे, वह नहीं देख सका। जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव को उसने देखा था। मौके पर वह था। सुबह होने पर यह बात उसने रामजनम यादव जो उसके भाई है व राममूरत यादव को बताया था तो उन लोगों ने इस घटना के संबंध में उसके बड़े भाई रामजनम ने थाने पर लिखित तहरीर दिया था, जो कागज संख्या 3अ/4 है, जिसपर पूर्व में प्रदर्श **क–1** डाला गया है। इस घटना के संबंध में उसके भाई रामजनम के तहरीर दिए जाने के बाद मौके पर जाकर उसका भी बयान दरोगा जी ने लिया था।

14. अभियोजन साक्षी संख्या–3 डॉक्टर गीता जायसवार ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह दिनांक 01.07.2016 को जिला चिकित्सालय सोनभद्र में महिला चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात थी। उस दिन महिला कांस्टेबल सुदामा देवी पीड़िता मीना देवी को मेडिकल परीक्षण हेतु उसके पास लेकर आई थी। पीड़िता के दाहिने कान के 4 सेमी नीचे गले पर काले तिल का निशान था। पीड़िता विवाहित थी, जिसकी पिछली माहवारी की तिथि 25.06.2016 था। पीड़िता ने उसे बताया था कि अभियुक्त रात में उसके घर में घुसकर उसके साथ गलत काम किया था। पीड़िता के चेतना का स्तार सामान्य था, नाड़ी की गति 84 प्रति मिनट, रक्तचाप 110/76 एमएमएचजी, ऊंचाई 148 सेमी0, वजन 50 किलोग्राम था। पीड़िता के कांख एवं गुप्तांग के बाल मौजूद थे। स्तन विकसित था। पीड़िता दौरान मेडिकल परीक्षण अपने कपड़े बदलकर आई थी। पीड़िता के शरीर के किसी भी भाग पर कोई जाहिरा चोट का निशान नहीं था। पीड़िता का हाइमन झिल्ली पुराना फटा था। उसने पीड़िता का वैजाइनल सर्वाइकल स्मियर बनाकर शुक्राणु परीक्षण हेतु पैथोलॉजी लैब में भेजा था। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली कागज संख्या 3अ/20 है, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पहचान करती है, जिसपर प्रदर्श **क–2** डाला गया। उसने पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर पूरक रिपोर्ट तैयार किया था। बलात्कार के संबंध में उसकी कोई निश्चित राय नहीं है। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

15. अभियोजन साक्षी संख्या–4 पीड़िता ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना लगभग 9 वर्ष की है रात्रि का ढाई बज रहा था। वह अपने परिवार के साथ अपने घर में सोई थी। घर में दरवाजा नहीं था। उसके घर में एक आदमी दीवार फांदकर घुस गया और उसकी चारपाई पर आकर उसका मुंह बन्द कर दिया

और उसके साथ बलात्कार किया। उसने शोर किया तब उसके पति जाग गए और उसके भसुर मक्खू उसे पकड़ लिए, लेकिन वह वहां से भाग गया। तब वह अपने पति को सारी बात बताई। घटना के बारे में उसके भसुर रामजनम ने थाने पर मुकदमा लिखवाया था। महिला पुलिस ने उसका बयान लिया था। उसका डॉक्टरी मुआयना जिला चिकित्सालय लोढ़ी में हुआ था। मजिस्ट्रेट साहब के यहां भी उसका बयान हुआ था। न्यायालय के आदेश पर पीड़िता का 164 सीआरपीसी का बन्द लिफाफा खोला गया। लिफाफे में कुल 5 कागजात संलग्न हैं। साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यही बयान उसने मजिस्ट्रेट साहब को दिया था, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या–5क/3 है, जिसपर उसका फोटो व अंगूठा निशान है, जिसकी वह पहचान करती है, जिसपर प्रदर्श **क–4** डाला गया।

16. अभियोजन साक्षी संख्या–5 महिला कांस्टेबल सुदामा देवी ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह दिनांक 28.06.2016 को थाना पन्नूगंज में महिला आरक्षी के पद पर तैनात थी। उस दिन वादी मुकदमा रामजनम यादव के द्वारा थाने पर दी गई लिखित तहरीर के आधार पर उसने रपट संख्या 16 दिनांक 28.06.2016 को समय 07:10 बजे नकल रपट उसने अपने हस्तलेख में लिखा है, जिसकी प्रमाणित कार्बन प्रति कायमी शामिल पत्रावली का0सं0 3अ/7 लगायत 3अ/8 है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पहचान करती है, जिसपर प्रदर्श **क–5** डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

17. अभियोजन साक्षी संख्या–6 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक अबरार अहमद ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह दिनांक 03.09.2016 को प्रभारी निरीक्षक थाना पन्नूगंज पर नियुक्त था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उसके द्वारा उक्त तिथि को ग्रहण की गई और उसी दिन पर्चा नंबर 13 किता किया गया, जिसमें उसने पूर्व किता किए गए पर्चों का अवलोकन किया। दिनांक 01.10.2016 पर्चा नंबर 14 किता किया, जिसमें अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव का गिरफ्तार कर बयान लिया गया तथा अभियुक्त का 14 दिवसीय रिमाण्ड प्राप्त किया गया। दिनांक 04. 10.2016 को पर्चा नंबर 15 किता किया, जिसमें डॉ0 गीता जायसवाल का बयान अंकित किया। जब तक की तमामी विवेचना, बयानात पीड़िता, बयानात गवाहान, निरीक्षण घ टनास्थल, पीड़िता के मेडिकल प्रपत्रों के अवलोकन व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव पुत्र शिवदुलारे के विरुद्ध धारा–376, 452 भा0दं0सं0 का अपराध बखूबी पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या–3अ/1 है, जिसपर उसका हस्ताक्षर है, जिसकी वह पहचान करता है, जिसपर प्रदर्श **क–6** डाला गया।

18. अभियोजन साक्षी संख्या–7 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक श्रीदेव ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह दिनांक 28.06.2016 को थाना पन्नूगंज में हे0मु0 के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर उसने मु0अ0सं0 196/16, धारा–354, 452 आईपीसी बनाम जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव पुत्र शिवदुलारे के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कम्प्यूटर ऑपरेटर को बोल–बोलकर

कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित कराया था, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या–3अ/2 लगायत 3अ/3 है, जिसकी वह पहचान करता है, जिसपर प्रदर्श **क–7** डाला गया।

19. अभियोजन साक्षी संख्या–8 निरीक्षक अजय कुमार ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह दिनांक 28.06.2016 को थाना पन्नूगंज में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। थाने पर दर्ज मु0अ0सं0 196/16, धारा–354, 452 आईपीसी, बनाम जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव पुत्र शिवदुलारे के विरुद्ध दर्ज मुकदमे की विवेचना उसे एसएचओ द्वारा सुपुर्द की गई। पर्चा नंबर 1 किता किया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन किया तथा एफआईआर लेखक सुदामा देवी का बयान अंकित किया। तत्पश्चात् एसआई द्वारा अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव को थाने लाया गया तथा बयान अंकित किया। दिनांक 30.06.2016 को पर्चा नंबर 2 किता किया, जिसमें वादी मुकदमा रामजनम और जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव का बयान अंकित किया। तत्पश्चात् वादी के निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल कर नक्शा नजरी बनाया, जो शामिल पत्रावली का0सं0 3अ/13 है, जिसपर उसका हस्ताक्षर है, जिसकी वह पहचान करता है, जिसपर प्रदर्श **क–8** डाला गया। तत्पश्चात् समई साक्षी राजाराम, राममूरत, बेचन यादव का बयान अंकित किया। दिनांक 02.07.2016 को पर्चा नंबर 3 किता किया, जिसमें अभियुक्त के जमानत सूचना का अवलोकन कर पर्चा में उल्लेख किया। तत्पश्चात् पीड़िता का बयान 164 सीआरपीसी का अवलोकन किया, जिसमें पीड़िता ने बताया था कि वह घर में सोई थी। घर में दरवाजा नहीं था। जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव घर का दीवार फांदकर उसके घर में घुस गया और घर की बत्ती बुझाकर उसकी चारपाई पर आ गया और उसके मुंह में लत्ता ठूस दिया और उसकी साड़ी खींचकर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। बयान के आधार पर अभियोग में 376 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई। दिनांक 03.07.2016 को पर्चा नंबर 6 प्रभारी निरीक्षक प्रदीप सिंह चन्देल द्वारा किता किया गया है, जिनके साथ वह काम कर चुका है व उनको लिखते–पढ़ते देखा है व उनके हस्ताक्षर की पहचान करता है।

20. उपरोक्त वर्णित साक्ष्य के महत्व व उसकी प्रासंगिता को रेखांकित करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से यह पूर्ण रूप से साबित होता है कि अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव द्वारा पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती बलात्कार किया गया। अभियोजन साक्षीगण ने अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है। अभियोजन साक्षीगण के बयानों से पीड़िता द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोप की पुष्टि होती है। औपचारिक साक्षीगण व विशेषज्ञ साक्षी द्वारा भी समस्त अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर अधिक से अधिक दण्ड दिया जाए।

21. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण के बयानों में विरोधाभास है। स्वयं पीड़िता द्वारा अभियोजन कथनों का समर्थन नहीं किया गया है। शेष साक्षीगण औपचारिक साक्षी हैं उनके द्वारा मात्र अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है। पीड़िता ने आपसी रंजिश के कारण झूठा मुकदमा कायम कराया है। अभियोजन, अपने कथनों को

संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा अभियोजन कथानक संदिग्ध है। अतः अपराध संदेह से परे साबित न होने के कारण अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

22. उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन साक्ष्य की समीक्षा एवं उसका मूल्यांकन निर्णय के अग्रेतर अंशो में किया जायेगा।

23. मामले के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विनिश्चय बिन्दु बनाए जाते हैं–

1. क्या अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव द्वारा दिनांक 28.06.2016 को समय रात्रि 02:30 बजे, पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती बलात्कार किया गया?

2. क्या अभियोजन के साक्षीगण ठोस एवं विश्वसनीय हैं?

3. क्या अभियोजन द्वारा अपने मामले को संदेह से परे सिद्ध किया गया है?

उपरोक्त विनिश्चय बिन्दु एक–दूसरे से संबंधित हैं और एक साथ निस्तारित किए जाने योग्य हैं।

24. उपरोक्त बिन्दुओं पर निष्कर्ष दिए जाने से पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्न् विधिक सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। जैसा कि विधि–व्यवस्था **राकेश व अन्य बनाम दिनांक 06.07.2021** में दृष्टिकोण दिया गया है कि *सूक्ष्म विरोधाभास अभियोजन के लिए घातक नहीं है।* इसी प्रकार विधि–व्यवस्था **अनवर अली व अन्य बनाम स्टेट सुप्रीम निर्णीत दिनांक 25.09.2020** में अवधारित किया गया है कि *अभियोजन पक्ष द्वारा अपने विश्वसनीय साक्ष्यों से अभियुक्त पर लगाए गए आरोप सन्देह से परे सिद्ध किए जाने चाहिए।*

25. अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप को विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा अभियोजन कथानक को सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है।

–:निष्कर्षः–

प्रथम सूचना रिपोर्टः–

26. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी दाण्डिक मामले का मूलभूत ढांचा होता है जिसपर अभियोजन का सम्पूर्ण मामला निर्भर करता है। प्राथमिकी को त्वरित होना चाहिये एवं उसके पीछे तर्क यह है कि कोई भी रिपोर्ट त्वरित दर्ज करायी जायेगी तो उसमें मिश्रण व मिलावट की सम्भावना उतनी ही न्यूनतम हो जाती है।

27. उपरोक्त विधिक सिद्धांत के पृष्ठभूमि में देखना यह है कि वर्तमान मामले में प्राथमिकी कितनी त्वरित है एवं यदि विलंबित भी है तो क्या अभियोजन प्राथमिकी में विलंब का कारण स्पष्ट कर सका है अथवा नहीं?

28. वादी रामजनम यादव द्वारा दिनांक 28.06.2016 में दिनांक 28.06.2016 की रात्रि लगभग 02:30 बजे की घटना दर्शाते हुए संबंधित थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। घटना उक्त दिनांक के 02:30 बजे प्रातः की बतलाई गई। इसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट उस दिनांक में 07:10 बजे अर्थात्

05 घण्टे, 20 मिनट बाद दर्ज कराई गई है। थाने से घटनास्थल की दूरी 07 किलोमीटर पूरब में बतलाई गई है। घटनास्थल पीड़िता का घर ग्राम पकरहट बतलाया गया। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई भी विलम्ब नहीं है। तहरीर प्रदर्श क–1 युक्तियुक्त समय में संबंधित थाने पर दी गई है, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–7 दर्ज की गई है।

<u>विश्लेषण साक्ष्य अभियोजन साक्षीगण:–</u>

29. अभियोजन साक्षी संख्या–1 रामजनम हैं। रामजनम द्वारा तहरीर मुख्य रूप में अभियुक्त के विरुद्ध छेड़खानी के संबंध में दी गई थी। मुख्य परीक्षण में उसके द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किए जाने का कथन किया गया है। उपरोक्त गवाह के अनुसार उसे घटना की सूचना उसकी बहन वैजयन्ती ने दी और घटना के एक घण्टे बाद उसे सूचना दी गई और बहन के बोलने पर वह जिल्लू के घर गए। इस प्रकार गवाह के अनुसार घटना उसके सामने नहीं हुई है। घर–गांव के लोगों द्वारा देखा गया होगा और गांव घर के लोगों के बताने पर ही उसने सूचना दी थी। इस प्रकार उपरोक्त गवाह द्वारा लोगों के बताने के आधार पर साक्ष्य दिया गया है, परन्तु गवाह द्वारा अपने द्वारा दी गई तहरीर प्रदर्श क–1 को सिद्ध किया गया है। गवाह की मौके पर मौजूदगी उसके स्वयं के कथानक के अनुसार संदिग्ध है। वह एक घण्टे बाद मौके पर पहुंचा। इस प्रकार उपरोक्त गवाह के साक्ष्य का सम्पोषण अन्य साक्ष्य से कराया जाना आवश्यक है।

30. अभियोजन साक्षी संख्या–2 बुल्लू यादव हैं। उपरोक्त गवाह के अनुसार जब तक वह कमरे से बाहर आया, तब तक आदमी भाग चुका था। उपरोक्त गवाह द्वारा व्यक्ति को न तो देखा गया, न ही पहचाना गया। <u>गवाह द्वारा अभियुक्त से रंजिश होना स्वीकारा गया है। उसे आज तक भी इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि कौन व्यक्ति उसके आंगन में घुसा था। गवाह द्वारा इस सुझाव को स्वीकारा गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई भी घटना उसकी पत्नी के साथ नहीं की गई है।</u> इस प्रकार उपरोक्त गवाह के साक्ष्य का सम्पोषण पीड़िता के साक्ष्य से किया जाना आवश्यक है।

31. अभियोजन साक्षी संख्या–3 डॉक्टर गीता जायसवार हैं। उनके द्वारा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया गया था। उनके अनुसार पीड़िता ने उसे बताया था कि अभियुक्त ने रात में घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया है। पीड़िता का हाइमन पुराना फटा हुआ था। पीड़िता की रिपोर्ट में किसी प्रकार का शुक्राणु नहीं पाया गया था। चिकित्सीय परीक्ष दिनांक 01.07.2016 में किया गया है। घटना दिनांक 28.06.2016 की है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को डॉक्टर द्वारा प्रदर्श क–2 के रूप में सिद्ध किया गया है। कोई भी प्रश्न या सुझाव बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पीड़िता द्वारा उक्त गवाह के समक्ष दिए गए बयान के संबंध में नहीं रखा गया है।

32. अभियोजन साक्षी संख्या–4 मीना देवी हैं, जो मामले की पीड़िता हैं। उनको पक्षद्रोही घोषित किया गया है। वह जिल्लू को पहले से नहीं जानती थीं। उनके अनुसार यह कहना गलत है कि जिल्लू ने उनके घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया था। गवाह के अनुसार जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था वह वहां से भाग गया था। इस

प्रकार अभियुक्त को मौके से पकड़े जाने के संबंध में सन्देह उत्पन्न होता है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में गवाह के अनुसार घटना के समय रात्रि थी, इसलिए वह पहचान नहीं सकी। गवाह के अनुसार उसके परिवार वालों ने कहा था कि जिल्लू के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया हैं, कोई नाम पूछे तो बता देना, इसलिए अपने जेठ रामजनम के कहने पर उसने जिल्लू का नाम बताया। घटना वाले दिन अभियुक्त को नहीं पकड़ा गया था। इस प्रकार अभियुक्त की मौके पर मौजूदगी संदेहास्पद हो जाती है और मजिस्ट्रेट को दिया गया बयान भी घर वालों के बताने पर कहा जाना सिद्ध होता है। इसी प्रकार डॉक्टर के समक्ष दिया गया कथन भी सिद्ध होता है। तब इस प्रकार गंभीर सन्देह उत्पन्न होता है।

33. अभियोजन साक्षी संख्या–5 महिला कांस्टेबल सुदामा देवी हैं। उनके द्वारा नकल जीडी प्रदर्श क–5 को सिद्ध किया गया है। गवाह का बयान औपचारिक प्रकृति का है।

34. अभियोजन साक्षी संख्या–6 वाद विवेचक निरीक्षक अबरार अहमद हैं, जिनके द्वारा आरोप पत्र प्रदर्श क–6 न्यायालय में प्रेषित किया गया। उनके अनुसार डॉक्टर द्वारा बलात्कार के संबंध में कोई भी राय नहीं दी गई थी और पूर्व विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर यह आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। उनके अनुसार पीड़िता का कपड़ा उन्होंने कब्जे में नहीं लिया था।

35. अभियोजन साक्षी संख्या–7 हेड मुहर्रिर श्रीदेव हैं, जिनके द्वारा तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–7 दर्ज की गई थी। गवाह का बयान औपचारिक प्रकृति का है। कोई भी प्रश्न या सुझाव बचाव पक्ष द्वारा इस आशय का नहीं रखा गया है, जिससे यह दर्शित हो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एण्टी टाइम थी।

36. अभियोजन साक्षी संख्या–8 अजय कुमार वाद विवेचक हैं। उनके द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क–8 को वादी की निशानदेही पर बनाया जाना बतलाया गया है। गवाह के अनुसार वह दिनांक 28.06.2016 में थाना पन्नूगंज में कार्यरत् थे। उनके अनुसार मृतका का बयान उन्होंने महिला कांस्टेबल सुदामा देवी से लिखवाया था। उपरोक्त वाद विवेचक को यह भी ज्ञात नहीं है कि मामला मृत्यु से संबंधित नहीं है। गवाह के अनुसार पीड़िता के बलात्कार के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मामले को धारा–354 आईपीसी के स्थान पर धारा–376 आईपीसी में परिवर्तित किया था। पीड़िता के मेडिकल के संबंध में उस समय तक रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं आई थी। इस प्रकार गवाह का बयान औपचारिक प्रकृति का है।

बयान अंतर्गत धारा–313 दण्ड प्रकिया संहिताः–

37. धारा–313 दं0प्र0सं0 के बयान में अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को नकारा गया है। समस्त अभियोजन साक्षीगण के बयान को गलत होना बतलाया है तथा उसके विरुद्ध मुकदमा गलत चलना बतलाया है। अभियुक्त के बयान को अभियोजन साक्ष्य के साथ रखा जाएगा।

38. धारा–313 द0प्र0सं0 का बयान सारवान साक्ष्य में नहीं आता है, जिसका उपयोग अभियोजन घटनाक्रम के सम्पोषण के संबंध में किया जा सकता है। विधि–व्यवस्था **चेतन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक (2025) 9 एससीसी 31 (पैरा 144)** में माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा यह दृष्टिकोण दिया गया है कि *धारा–313 दं0प्र0सं0 के बयान के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा की जा सकती है।*

39. **बृजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी 2012 (77) एसीसी 992 सुप्रीम कोर्ट** में यह दृष्टिकोण दिया गया है कि *बयान अंतर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।* समस्त तथ्यों के साक्षीगण के साक्ष्य को ध्यान में रखने पर एवं मेडिकल साक्ष्य का सम्पोषण न होने से अभियोजन कथनों पर सन्देह उत्पन्न होता है और यह स्थापित विधि है कि सन्देह सबूत का भार नहीं ले सकता। इसके साथ ही यह भी स्थापित विधि है कि प्रत्येक बालिग व्यक्ति को अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार प्राप्त है।

40. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव के विरुद्ध धारा–376, 452 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया है।

41. धारा–**376** भारतीय दण्ड संहिता में यह अवधारित किया गया है कि–

> **बलात्संग के लिए दण्ड––** जो कोई उपधारा (2) द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

42. धारा–**452** भारतीय दण्ड संहिता में यह अवधारित किया गया है कि–

> **उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह अतिचार के लिए दण्ड––** जो कोई, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की या किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके, गृह अतिचार करता है, वह दोनों में से किसी भांतिके कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

43. यह स्थापित विधि है कि पक्षद्रोही गवाह का बयान पूर्णतः खारिज नहीं किया जा सकता। दोनों पक्ष इसपर विश्वास कर सकते हैं, ऐसा विधिक दृष्टिकोण **राजा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक (2016) 10 एससीसी 506** एवं **पूजा पाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (2016) 3 एससीसी 135** में दिया गया है, परन्तु वर्तमान वाद में पीड़िता को पक्षद्रोही अभियोजन ने घोषित किया है।

44. विधि–व्यवस्था **मकसूदन बनाम स्टेट ऑफ यूपी (1983) 1 एससीसी 218 (तीन सदस्यीय बेंच)** में यह दृष्टिकोण दिया गया है कि सूक्ष्म विरोधाभास अभियोजन के लिए घातक नहीं है, परन्तु ऐसा साक्षी ट्यूटर्ड साक्षी नहीं होना चाहिए।

45. विधि–व्यवस्था **उगर अहीर व अन्य बनाम स्टेट ऑफ बिहार एआईआर 1965 सुप्रीम कोर्ट 277 एवं शोहराब व अन्य बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1972 (3) एससीसी 751** में यह दृष्टिकोण दिया गया है कि–

> *"An attempt has to be made to, as noted above, in terms of felicitous metaphor, separate grain from the chaff, truth from falsehood. Where it is not feasible to separate from falsehood, because grain and chaff are inextricably mixed up, and in the process of separation an absolutely new case has to be reconstructed by divorcing essential details presented by the prosecution completely from the context and the background against which they are made, the only available course to be made is to discard the evidence in toto."*

46. बचाव पक्ष द्वारा तर्क यह दिया गया है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के शरीर पर आई चोटों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और उन्हें सिद्ध नहीं कराया है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त को मौके पर मारा गया हो। इस संबंध में ध्यान दिए जाने योग्य है कि अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 28.06.2016 में किया गया है, जिसमें आठ चोटें जाहिरा थीं व दो चोटें दर्द की शिकायत की थीं, परन्तु अभियोजन द्वारा उक्त चोटों को सिद्ध न कराने से अभियोजन का मामला कमजोर हो जाता है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है। <u>सहायक अभियोजन अधिकारी से अपेक्षित था कि वह इस संबंध में साक्षी को बुलाता अथवा साक्षी के न मिलने पर द्वितीयक साक्षी को बुलाता अथवा वाद विवेचक से उसकी पुष्टि कराता, परन्तु ऐसा न किए जाने से वाद बचाव पक्ष के तर्क को बल मिलता है।</u>

47. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया है कि पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि नहीं की गई है। यह ध्यान दिए जाने योग्य है कि पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण 72 घण्टे के अन्दर किया गया है, तब शुक्राणु की मौजूदगी स्वाभाविक थी, जब तक कि अन्यथा यह दर्शाया न जाए कि बलात्कार किसी प्रकार की निरोधात्मक प्रणाली के साथ न किया गया हो। अभियोजन का ऐसा मामला नहीं है। तब घटना के बाद अतिशीघ्र किए गए चिकित्सीय परीक्षण में शुक्राणु की नामौजूदगी घटना पर सन्देह उत्पन्न करती है।

48. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया है कि नक्शा नजरी में घटनास्थल घर का होना दर्शाया गया है और बलात्कार होना बिना सहमति के संभव नहीं है, क्योंकि घर पर पति एवं अन्य परिवार वालों की मौजूदगी दर्शायी गई है। इस प्रकार यह ध्यान दिए जाने योग्य है कि अभियोजन साक्ष्य से दर्शित होता है कि घटना के समय मौके पर पीड़िता के पति मौजूद थे तथा अन्य परिवार वाले भी मौजूद थे। तब इस प्रकार परिजनों की उपस्थिति में घटना कारित किया जाना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। वह भी उस परिस्थिति में जबकि उभयपक्ष के मध्य पुरानी रंजिश होना स्वीकार किया गया है।

49. अभियोजन पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त, ठोस, प्रासंगिक एवं विश्वसनीय नहीं हैं। ऐसे में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव के विरुद्ध लगाये गये आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं और अभियुक्त जिल्लू यादव उर्फ

इन्द्रजीत यादव धारा–**376, 452** भारतीय दण्ड संहिता से सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>–ःआदेशः–</u>

सत्र परीक्षण संख्या–**09/2017**, मुकदमा अपराध संख्या–**196/2016**, थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र के मामले में अभियुक्त **जिल्लू यादव उर्फ इन्द्रजीत यादव** को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–**376, 452** भारतीय दण्ड संहिता से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अंतर्गत मु0–**20,000**/–रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के **दो प्रतिभू** अन्दर सप्ताह न्यायालय में दाखिल करे, जो अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन विहित अवधि तक प्रभाव में रहेंगे।

निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र को प्रेषित की जाए।

दिनांक–20.08.2026

(विपिन कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
(एफ0टी0सी0)(सी0ए0डब्ल्यू0),
सोनभद्र
I.D. No.-U.P. 6486

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–20.08.2026

(विपिन कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
(एफ0टी0सी0)(सी0ए0डब्ल्यू0),
सोनभद्र
I.D. No.-U.P. 6486